4238 dt 5480
21.8.13 4/10/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत।

सन्दर्भित वाद संख्या– 25/2013–14

शिवजी चौधरी वगै० बनाम महादेव चौधरी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक शिवजी चौधरी एवं रधुनाथ चौधरी, दोनों पिता– गोपालजी चौधरी, निवासी मुहल्ला– बाकरगंज, थाना– लहेरियासराय जिला– दरभंगा के वाद पत्र दिनांक 06.04.2013 पर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए प्रस्तुत वाद प्रतिग्रहित की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) महादेव चौधरी, पिता– गोपाल चौधरी विपक्षी प्रथम पक्ष (2) विश्वनाथ चौधरी, (3) शम्भू चौधरी (4) ललन चौधरी उर्फ डॉ ए० एन० जायसवाल एवं (5) शंकर चौधरी , चारो पिता– गोपालजी चौधरी, विपक्षी द्वितीय पक्ष, सभी निवासी– बाकरगंज, थाना– लहेरियासराय, जिला– दरभंगा है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मोहल्ला– असफंदियारपुर, थाना– लहेरियासराय में अवस्थित अधोलिखित ब्योरे की भूमि है, जिसमें आवेदको का कहना है कि सभी सात भाईयों को 1/7 Share है एवं सभी भाइयों के दखल कब्जे में है परन्तु विपक्षी महादेव चौधरी ने fraudulent तरीके से अपने नाम entire land का revisional survey में खतियान wrongful तैयार करा लिया है:–

खाता	खेसरा	रकवा बी०– क०–धु०	चौहद्दी
148	156	00–16–19	उ०– मियाँजान मोमीन, इलाही कुजरा
			द०– कंचन अहीर
			पू०– जनक सागर
			प०– जनक सागर

खाता	खेसरा	रकवा बी०– क०–धु०	चौहद्दी
165	141	00–09–12	उ०– कँसी और राब
			द०– ठिठर माली बाद अब्दुल अजीज
			पू०– सोमे मोमीन
			प०– अब्दुल्लाह मोमीन बाद महादेव मल्ली

18/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि दिनांक 08.08.1921 को बाबा माता सहाय की खरीदगी भूमि है जो 20.10.1955 के पारिवारिक Settlement द्वारा इनके पिता के हिस्से मिली जिसका जिला गजट भी 01.10.1985 में इनके पिता के नाम प्रकाशित हुई है तथा पिता के मरनोपरान्त प्रश्नगत भूमि पर सातो भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा कब्जा चला आ रहा है, परन्तु विपक्षी प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण भूमि को हाल सर्वे खतियान में अपने नाम दर्ज करा लिया है, जबकि इसमें सभी सातो भाइयों का समान हिस्सा एवं कब्जा है। आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि को बराबर हिस्से/कब्जा के अनुसार खतियान Correction कर 1/7 प्रत्येक के नाम entry करने का अनुरोध किया है। विपक्षी सदस्य 02 से 05 तक ने अपने Rejoinder में सभी सातो भाईयों का प्रश्नगत भूमि पर equal right, title, interest एवं Possession होना बताया है तथा विपक्षी सं0 01 के द्वारा सर्वे में illegal, fraudulent कर अपने नाम से खतियान entry कराने का आरोप लगाते हुए 1/7 share के अनुसार खतियान में Correction करने का अनुरोध किया है। विपक्षी महादेव प्रसाद जायसवाल ने अपने objection petition में कहा है कि आवेदकों ने wrong forum choose किया है और आवेदकों का claim civil court के jurisdiction का है जो B.L.D.R. Act के Purview के beyond है। इनके अनुसार वर्ष 1955 के family Settlement में प्रश्नगत भूमि इनके पिता बाबु गोपालजी चौधरी को allott नहीं हुई थी और नहीं उक्त family settlement deed में मोहल्ला असफंदियारपुर एवं सराय सत्तर खान में गोपालजी चौधरी का आवंटन दर्ज है, बल्कि गोपालजी चौधरी को अन्यत्र जगह भूमि आवंटित हुई थी। विपक्षी महादेव प्र0 जायसवाल का कहना है कि आवेदक सं0 02 ने विभाजन वाद सं0 165/1998 विद्वान सब जज दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया था, जिसमें विपक्षी सं0 01 उपस्थित नहीं हुए और सब जज नं0 4 दरभंगा के न्यायालय में दिनांक 27.10.2010 को उक्त वाद dismiss हो गया। इनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत सम्पति बाबु माता सहाय चौधरी ने अर्जित किया था, जिन्हें चार पुत्र (1) बाबू गया प्रसाद चौधरी (2) बाबु माया प्रसाद चौधरी (3) बाबु बिहारी लाल उर्फ दुःखा प्रसाद चौधरी एवं (4) बाबु गोपालजी चौधरी हुए जिसमें बाबु गया	

18/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

प्र0 चौधरी वर्ष 1925 में मर गए तथा माया प्रसाद चौधरी अपने पिता के जीवन काल में वर्ष 1978 में अपने दो पुत्र (1) नारायण चौधरी एव (2) जगदीश प्र0 चौधरी को छोड़ कर मर गये। नारायण चौधरी भी वर्ष 1985 में अपनी पत्नी को छोड़कर बिना पुत्र–पुत्री के मर गये और जगदीश प्र0 चौधरीअपने तीन पुत्रों (1) डॉ0 जगमोहन प्र0 चौधरी (2) मनमोहन चौधरी (3) चन्द्रमोहन जायसवाल को छोड़ कर मर गये। इनका कहना है कि बाबु माता सहाय चौधरी से दि0 29.09.1939 को बहुत सारी सम्पति के निश्वत एक दस्तावेज आवेदक रघुनाथ प्र0 जायसवाल ने लिखवा लिया उक्त सम्पति के निश्वत आवेदक सं0 02 के विरूद्ध वाद सब जज नं0 4 दरभंगा के न्यायालय में Pending है।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना।

विवाद का मूल कारण बाबु गोपालजी चौधरी के हिस्से में आवंटित भूमि होने के आधार पर आवेदकों एवं विपक्षी सं0 02 से 05 तक का 1/7 हिस्सा कब्जा प्रश्गत भूमि पर होना बताया जा रहा है, जबकि गोपालजी चौधरी के पिता बाबु माता सहाय चौधरी द्वारा दिनांक 20.10.1955 को निबंधित family settlement deed के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त deed के मद नं0 4 में गोपालजी चौधरी को हिस्सा आवंटित है, जिसमें प्रश्नगत भूमि का पुराना खाता नं0 128 खेसरा नं0 106 गोपालजी चौधरी के नाम आवंटित नहीं है, इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या आवेदक का वाद मंजूर के योग्य प्रतीत नहीं होता है।

दरभंगा जिला गजट 01 अक्टूबर 1985 के अवलोकन से विदित होता है कि मौजा असफन्दियारपुर अन्तर्गत खाता नं0 128 खेसरा नं0 156 की 16 कट्टा 19 धुर भूमि गोपालजी चौधरी के नाम पर है न कि प्रश्नगत खाता खेसरा की भूमि।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक का वाद पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद की कार्रवाई को खारिज किया जाता है।

"अभिलेख संचिकास्त करें।"

लेखापित एव शुद्धित

18/09/13

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

18/09/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।